

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प मूंगड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 21/2018


प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार पंचपदरा

- 1 कैलाश पुत्र राजाराम, माली साकिन बालोतरा
- 2 सांवलराम, ओमप्रकाश, जगदीश पि. हजारिमल, मुकना, भेरा, रामचन्द्र पि. मानाराम माली साकिन बालोतरा
- 3 शौतानसिंह वल्द केवलसिंह राजपुरोहित आवासन मण्डल, कैलाश पुत्र राजाराम माली सा. बालोतरा, मुरारदान पुत्र गिरधारीदान चारण सा. बालोतरा, रहिशदान पुत्र प्रकाशदान चारण साकिन बागुण्डी
- 4 नेमाराम, मोहनलाल, जोराराम पि. राजूराम, राजूराम, मेलाराम, सुरेश, तेजाराम पि. हीराराम, सायरी पत्नी हीराराम, मेगवंशी सा. रामसीन
- 5 पुखराज, मीठालाल, गीगाराम पि. चौथाराम मु. भूरी बेवा चौथाराम मेगवाल सा. देह खातेदार
- 6 देवाराम, खेताराम पि. फरसाराम, उमली पत्नी फरसाराम मेगवाल सा. रामसीन
- 7 गिरधारी, जगदीश, रणछोड, रामगोपाल, पि. केवल माली सा. बालोतरा
- 8 भंवरी देवी पत्नि पुखराज पुत्रवधु चौथाराम मेगवंशी सा. रामसीन खातेदार
- 9 टीकमा वल्द चतरा कौम मेगवंशी सा. देह खाते.
- 10 आयुक्त नगर परिषद बलोतरा
- 11 डूंगरचन्द, हडमानाराम, जेनाराम पि. भूराराम पालीवाल सा. देह
- 12 ओमप्रकाश पुत्र जेठाराम पालीवाल, बालोतरा
- 13 झीमो बेवा काना, ईशरा मंगला पि. कानाराम, नोनगाराम पुत्र भीमाराम, शिवलाल, गौतमचन्द, प्रकाशचन्द, बदकी देवी, लीला देवी, गीगी देवी पि. चेताराम मंगली देवी पत्नी चेताराम मेगवंशी सा. रामसीन
- 14 देवाराम पुत्र पांचाराम, गवारी बेवा पांचाराम, देवाराम पुत्र बीजाराम, उदा वल्द मेगा, जोराराम गीगाराम, हंसाराम पि. बिला, पानी बेवा बिला मेगवाल सा. रामसीन
- 15 मोहनलाल पुत्र कानाराम भील, सांभरा साल्ट
- 16 राणाराम, देवाराम, भटाराम, रामाराम पि. नरसीगजी, श्रीमति हवली देवी पत्नि नरसिंग भील, काली पुत्र नरसिंग, लच्छाराम, ओमाराम पि. हकाराम, मांगाराम, मंगलाराम पि. गोबरराम, ढलाराम, ममाराम पि. चुनाराम, तीजो देवी पत्नि राजू, भटाराम देवाराम पि. राजूराम, देवाराम, भभूताराम, चेलाराम पि. लेखाराम टील सोमती सतकी पुत्रियां लेखाराम अमिया पत्नि लेखाराम भील सा. रामसीन
- 17 चम्पाराम वल्द भारताराम, भंवरलाल पुत्र जोगाराम, मोरकी देवी पत्नि भंवराराम भील सा. विठूजा
- 18 सरपंच ग्राम पंचायत मूंगड़ा



(भागीरथ राम)  
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018  
राजस्थान सरकार  
सहायक कलेक्टर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 136, 136 R.L.R. ACT 1956

आदेश

उपस्थित :- राज पेरोकार

दिनांक : 01.05.2018


प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामसीन में एक बारह मासी मार्ग रेल्वे लाईन से रामसीन तक वर्तमान में चल रहा है जो रास्ता ग्राम रामसीन के खसरा नम्बर 793/521, 592, 594, 595, 586, 585, 574, 573, 572, 567, 436, 437, 424, 435, 426, 417, 415, 413, 414, 713/345 में चल रहा है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" तथा नक्शा परिशिष्ट "ब" पर है तथा सम्बन्धित खसरान की जमाबंदिया परिशिष्ट "स" के रूप में संलग्न है।

नजरी नक्शा अनुसार ऐसे चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ते को मौके पर पाये गये परन्तु जिनका राजस्व रेकॉर्ड तथा जमाबन्दी व नक्शे में अंकन नहीं है। नियमानुसार उनका राजस्व रेकॉर्ड में अंकन किया जावे। रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान करावे।

पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा ध्यान पूर्वक अध्ययन किया तथा कैम्प कोर्ट में उपस्थित को सुना गया उपस्थित ग्रामीणों ने कोई एतराज नहीं होने की बात कही। विप्रार्थीगण गिरधारीलाल, जगदीश, रामगोपाल पि. केवलराम जाति माली द्वारा प्रस्तुत जबाब का भी अवलोकन किया मौके पर चल रहे रास्ता परिशिष्ट "स" का अवलोकन किया परिशिष्ट "अ" प्रस्तुत परिवर्तन खतौनी का अवलोकन किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा रामसीन के खसरा नम्बर 793/59 रकबा 0.03 बीघा मौके पर कॉलोनी में वर्णित अनुसार खसरा नंबर 592 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर 594 रकबा 0.07 व खसरा नंबर 595 रकबा 0.03 बीघा पर कॉलोनी में वर्णित मार्ग अनुसार खसरा नंबर 586 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर 585 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नंबर 574 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नंबर 573 रकबा 0.11 बीघा, 572 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नंबर 567 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नंबर 436 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नंबर 437 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नंबर 435 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नंबर 424 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नंबर 426 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नंबर 417 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नंबर 415 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नंबर 413 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नंबर 414 रकबा 0.02 बीघा नक्शे में बिन्दू ए से बी में वर्णित मार्क व कोलोनीयों में वर्णित मार्ग को ध्यान में रखते हुए मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत् खातेदार के खाते में ही दर्ज होगा। संलग्न परिवर्तन खतौनी परिशिष्ट "अ" व नक्शा परिशिष्ट "स" बिन्दू ए से बी निर्णय के भाग रहेगे।

आदेश राजस्व लोक अदालत कैम्प मूंगड़ा में खुल न्यायालय में सुनाया गया।



(समीक्षित)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प, 2018  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
वालौतारा कैम्प मूंगड़ा